Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

रमेशचन्द्र कुमावत बनाम **लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव कृषि उपज मण्डी, निम्बाहेडा**

किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)** नं0 **089** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.12.2022	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई है। अपीलार्थी रमेशचन्द्र पिता शंकरलाल कुमावत निवासी कासोद दरवाजा निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ मोबाईल 9928717001 की और से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव कृषि उपज मण्डी, निम्बाहेडा को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सूचना प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक **23.08.2022** के संबंध में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत अपील अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव कृषि उपज मण्डी, निम्बाहेडा के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। यहॉ उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रथम अपील अपने आवेदन पत्र दिनांक **23.08.2022** के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव कृषि उपज मण्डी, निम्बाहेडा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है एवं लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव कृषि उपज मण्डी, निम्बाहेडा, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते है, ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव कृषि उपज मण्डी, निम्बाहेडा के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता को बिन्दु पर इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, अपीलार्थी को सक्षम संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। -S/D- (अरविन्द कुमार पोसवाल) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ 14.12.2022	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official